

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत बिहार राज्य स्थित खादी संस्थाओं/समितियों द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी गई छूट (रिबेट) की प्रतिपूर्ति हेतु कुल राशि रू0- 1,00,00,000.00 (एक करोड़ रूपये) से संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या 5396 दिनांक- 30.11.2018 की कंडिका-3 एवं कंडिका 5 को निम्नरूप से संशोधित किया जाता है।

कंडिका- 3 - इस राशि की निकासी एवं व्ययन सहायक, उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषांकागर, विकास भवन, पटना से पूर्व प्राप्ति रसिद पर BTC-25 पर राशि की एक मुश्त निकासी कर RTGS/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पटना को उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभागीय पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.10 एवं 500 दिनांक-18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त के आलोक में कंडिका- 5 को विलापित किया जाता है।

शेष कंडिकायें यथावत रहेगी।

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5/स0 विविध (रिबेट)- 02/2017 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5/स0 विविध (रिबेट)- 02/2017 /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- उप उद्योग निदेशक (लेखा)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5/स0 विविध (रिबेट)- 02/2017

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5/स0 विविध (रिबेट)- 02/2017

5798 /पटना,

दिनांक- 18.12.18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, उद्योग विभाग/प्रशाखा-01 (स०) उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग निदेशालय को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

1-7